

पंजाब नेशनल बैंक प्रकरण संख्या 16/2020(GCMS : 2020/00062) पंजाब नेशनल बैंक शाखा
बैकबल चौक, श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक श्री संजीव खेडा
बनाम 1. मैसर्स ओम ट्रेडर्स -प्रो. धर्मवीर चौधरी पुत्र महावीर स्थित दुकान नं.
28/3-4-5, गोल बाजार, गांधी चौक, श्रीगंगानगर 2. आदित्य कुमार पुत्र भूप सिंह
- मकान नं. 131 नजदीक नेतेवाला, 17 श्रीगंगानगर
3. अमनदीप तरड़ पुत्र ओम प्रकाश तरड़ -वार्ड नं 9, आओबीसी बैंक,
सादुलशहर, श्रीगंगानगर 4. मैसर्स चौधरी बिल्ड मार्ट प्राइवेट लिमिटेड
- सीजीआर मॉल, चक 6 ई छोटी, मुरब्बा नं. 16 किल्ला नं. 09, श्रीगंगानगर
5. निर्मला देवी पत्नि ओम प्रकाश तरड़- वार्ड नं. 09, आओबीसी बैंक,
सादुलशहर श्रीगंगानगर



21.03.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए और फार्म नं. 03 के साथ दस्तावेज पेश किये, शामिल मिसल किये। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पूर्व में सुनी गई थी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 10.02.2020 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण मैसर्स ओम ट्रेडर्स-प्रो. धर्मवीर चौधरी, आदित्य कुमार, अमन दीप तरड़, ओम प्रकाश, मै. चौधरी बिल्ड मार्ट प्रा. लि. एवं निर्मला देवी को ऋण सुविधा के रूप में 5.00/- करोड़ रुपये (अखरे रुपये पांच करोड़ मात्र) का ऋण दिनांक 23.12.2015 स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी अमनदीप तरड़ द्वारा अपनी सम्पत्ति खुला प्लॉट सीजीआर सिटी, किल्ला नं. 3, मुरब्बा 68(क्षेत्रफल 2289 वर्गफुट), चक 2 एमएल, नाथावाली, सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर एवं प्लॉट नं. 208 (पश्चिम मुखी), किल्ला नं. 20, मुरब्बा नं. 69 (क्षेत्रफल 1518.75 वर्गफुट) चक 2 एमएल, नाथावाली, सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर, प्लॉट नं. 209 किल्ला नं. 20, मुरब्बा नं. 69 (क्षेत्रफल 520.41 वर्गफुट) चक 2 एमएल, नाथावाली, सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर आदित्य कुमार द्वारा अपनी सम्पत्ति प्लॉट नं. 148(क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट), किल्ला नं. 8,9,

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मुरब्बा नं. 69, 2 एमएल नाथावाली सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर, ओम प्रकाश द्वारा अपनी सम्पत्ति शोरूम नं. 26(क्षेत्रफल 12'3" गुणा 24') व 27 (क्षेत्रफल 15'गुणा 13'4.5") प्रथम तल सीजीआर मॉल, हनुमानगढ रोड़ नजदीक चहल चौक, किल्ला नं. 2, 9, मुरब्बा नं. 16, चक 6 ई छोटी श्रीगंगानगर, शोरूम नं. 26(क्षेत्रफल 12'3" गुणा 24') व 27 (क्षेत्रफल 15'गुणा 13'4.5") द्वितीय तल सीजीआर मॉल, हनुमानगढ रोड़ नजदीक चहल चौक, किल्ला नं. 2, 9, मुरब्बा नं. 16, चक 6 ई छोटी श्रीगंगानगर, एंकर शोरूम (क्षेत्रफल 3600 वर्गमीटर) तृतीय तल, सीजीआर मॉल, हनुमानगढ रोड़, नजदीक चहल चौक, किल्ला नं. 2, 9, मुरब्बा नं. 16, चक 6 ई छोटी, श्रीगंगानगर, निर्मला देवी द्वारा अपनी सम्पत्ति गोदाम स्थित ई-254 (3600 वर्गमीटर) एग्रो फूड पार्क, उद्योग विहार, श्रीगंगानगर एवं मैसर्स चौधरी बिल्ड मार्ट-प्रो. अमनदीप तरड़ द्वारा अपनी सम्पत्ति Facility Area (क्षेत्रफल 41724 वर्गफुट) किल्ला नं. 12, 13, 18, 19, मुरब्बा नं. 69, चक 2 एमएल, नाथावाली, सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तों के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नहीं किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 29.05.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणियों के नाम दिनांक 30.04.2019 को 3,19,27,188/-रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 14.10.2019 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गये है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणियों द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई अमनदीप तरड़ की सम्पत्ति खुला प्लॉट सीजीआर सिटी, किल्ला नं. 3, मुरब्बा 68(क्षेत्रफल 2289 वर्गफुट), चक

जिला मजिस्ट्रेट
 श्री गंगानगर

2 एमएल, नाथावाली, सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर एवं प्लॉट नं. 208 (पश्चिम मुखी), किल्ला नं. 20, मुरब्बा नं. 69 (क्षेत्रफल 1518.75 वर्गफुट) चक 2 एमएल, नाथावाली, सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर, प्लॉट नं. 209 किल्ला नं. 20, मुरब्बा नं. 69 (क्षेत्रफल 1520.41 वर्गफुट) चक 2 एमएल, नाथावाली, सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर आदित्य कुमार की सम्पत्ति प्लॉट नं. 148 (क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट), किल्ला नं. 8,9, मुरब्बा नं. 69, 2 एमएल नाथावाली सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर, ओम प्रकाश की सम्पत्ति शोरूम नं. 26 (क्षेत्रफल 12'3" गुणा 24') व 27 (क्षेत्रफल 15'गुणा 13'4.5") प्रथम तल सीजीआर मॉल, हनुमानगढ रोड़ नजदीक चहल चौक, किल्ला नं. 2, 9, मुरब्बा नं. 16, चक 6 ई छोटी श्रीगंगानगर, शोरूम नं. 26 (क्षेत्रफल 12'3" गुणा 24') व 27 (क्षेत्रफल 15'गुणा 13'4.5") द्वितीय तल सीजीआर मॉल, हनुमानगढ रोड़ नजदीक चहल चौक, किल्ला नं. 2, 9, मुरब्बा नं. 16, चक 6 ई छोटी श्रीगंगानगर, एंकर शोरूम (क्षेत्रफल 3600 वर्गमीटर) तृतीय तल, सीजीआर मॉल, हनुमानगढ रोड़, नजदीक चहल चौक, किल्ला नं. 2, 9, मुरब्बा नं. 16, चक 6 ई छोटी, श्रीगंगानगर, निर्मला देवी की सम्पत्ति गोदाम स्थित ई-254 (3600 वर्गमीटर) एग्रो फूड पार्क, उद्योग विहार, श्रीगंगानगर एवं मैसर्स चौधरी बिल्ड मार्ट-प्रो. अमनदीप तरड़ की सम्पत्ति Facility Area (क्षेत्रफल 41724 वर्गफुट) किल्ला नं. 12, 13, 18, 19, मुरब्बा नं. 69, चक 2 एमएल, नाथावाली, सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण ऋणियों मैसर्स ओम ट्रेडर्स-प्रो. धर्मवीर चौधरी, आदित्य कुमार, अमन दीप तरड़, ओम प्रकाश, मै. चौधरी बिल्ड मार्ट प्रा. लि. एवं निर्मला देवी को

5.00/-करोड़ रूपये (अखरे रूपये पांच करोड. मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 23.12.2015 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणियों द्वारा सुरक्षा की एवज में अमनदीप तरड़ की सम्पत्ति खुला प्लॉट सीजीआर सिटी, किल्ला नं. 3, मुरब्बा 68(क्षेत्रफल 2289 वर्गफुट), चक 2 एमएल, नाथावाली, सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर एवं प्लॉट नं. 208 (पश्चिम मुखी), किल्ला नं. 20, मुरब्बा नं. 69 (क्षेत्रफल 1518.75 वर्गफुट) चक 2 एमएल, नाथावाली, सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर, प्लॉट नं. 209 किल्ला नं. 20, मुरब्बा नं. 69 (क्षेत्रफल 1520.41 वर्गफुट) चक 2 एमएल, नाथावाली, सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर आदित्य कुमार की सम्पत्ति प्लॉट नं. 148 (क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट), किल्ला नं. 8,9, मुरब्बा नं. 69, 2 एमएल नाथावाली सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर, ओम प्रकाश की सम्पत्ति शोरूम नं. 26 (क्षेत्रफल 12'3" गुणा 24') व 27 (क्षेत्रफल 15'गुणा 13'4.5") प्रथम तल सीजीआर मॉल, हनुमानगढ रोड़ नजदीक चहल चौक, किल्ला नं. 2, 9, मुरब्बा नं. 16, चक 6 ई छोटी श्रीगंगानगर, शोरूम नं. 26(क्षेत्रफल 12'3" गुणा 24') व 27 (क्षेत्रफल 15'गुणा 13'4.5") द्वितीय तल सीजीआर मॉल, हनुमानगढ रोड़ नजदीक चहल चौक, किल्ला नं. 2, 9, मुरब्बा नं. 16, चक 6 ई छोटी श्रीगंगानगर, एंकर शोरूम (क्षेत्रफल 3600 वर्गमीटर) तृतीय तल, सीजीआर मॉल, हनुमानगढ रोड़, नजदीक चहल चौक, किल्ला नं. 2, 9, मुरब्बा नं. 16, चक 6 ई छोटी, श्रीगंगानगर, निर्मला देवी की सम्पत्ति गोदाम स्थित ई-254 (3600 वर्गमीटर) एग्रो फूड पार्क, उद्योग विहार, श्रीगंगानगर एवं मैसर्स चौधरी बिल्ड मार्ट-प्रो. अमनदीप तरड़ की सम्पत्ति Facility Area (क्षेत्रफल 41724 वर्गफुट) किल्ला नं. 12, 13, 18, 19, मुरब्बा नं. 69, चक 2 एमएल, नाथावाली, सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 29.05.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी

ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 14.10.2019 को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 15.10.2019 को भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा अप्राथीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक की प्रति पत्रावली में उपलब्ध है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/ जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणियों द्वारा बंधक रखी गई अमनदीप तरङ की सम्पत्ति खुला प्लॉट सीजीआर सिटी, किल्ला नं. 3, मुरब्बा 68(क्षेत्रफल 2289 वर्गफुट), चक 2 एमएल, नाथावाली, सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर एवं प्लॉट नं. 208 (पश्चिम मुखी), किल्ला नं. 20, मुरब्बा नं. 69 (क्षेत्रफल 1518.75 वर्गफुट) चक 2 एमएल, नाथावाली, सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर, प्लॉट नं. 209 किल्ला नं. 20, मुरब्बा नं. 69 (क्षेत्रफल 1520.41 वर्गफुट) चक 2 एमएल, नाथावाली, सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर आदित्य कुमार की सम्पत्ति प्लॉट नं. 148 (क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट), किल्ला नं. 8,9, मुरब्बा नं. 69, 2 एमएल नाथावाली सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर, ओम प्रकाश की सम्पत्ति शोरूम नं. 26 (क्षेत्रफल 12'3" गुणा 24') व 27 (क्षेत्रफल 15'गुणा 13'4.5") प्रथम तल सीजीआर मॉल, हनुमानगढ रोड़ नजदीक चहल चौक, किल्ला नं. 2, 9, मुरब्बा नं. 16, चक 6 ई छोटी श्रीगंगानगर, शोरूम नं. 26(क्षेत्रफल 12'3" गुणा 24') व 27 (क्षेत्रफल 15'गुणा 13'4.5") द्वितीय तल सीजीआर मॉल, हनुमानगढ रोड़ नजदीक चहल चौक, किल्ला नं. 2, 9, मुरब्बा नं. 16, चक 6 ई छोटी श्रीगंगानगर, एंकर

शोरूम (क्षेत्रफल 3600 वर्गमीटर) तृतीय तल, सीजीआर मॉल, हनुमानगढ रोड, नजदीक चहल चौक, किल्ला नं. 2, 9, मुरब्बा नं. 16, चक 6 ई छोटी, श्रीगंगानगर, निर्मला देवी की सम्पत्ति गोदाम स्थित ई-254 (3600 वर्गमीटर) एगो फूड पार्क, उद्योग विहार, श्रीगंगानगर एवं मैसर्स चौधरी बिल्ड मार्ट-प्रो. अमनदीप तरड की सम्पत्ति Facility Area (क्षेत्रफल 41724 वर्गफुट) किल्ला नं. 12, 13, 18, 19, मुरब्बा नं. 69, चक 2 एमएल, नाथावाली, सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।


जहां तक अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 14.10.2019 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 14.10.2019 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थीगण मैसर्स ओम ट्रेडर्स-प्रो. धर्मवीर चौधरी, आदित्य कुमार, अमन दीप तरड, ओम प्रकाश, मै. चौधरी बिल्ड मार्ट प्रा. लि. एवं निर्मला देवी को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 15.10.2019 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति स्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) का नोटिस प्राप्त हो चुका है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणियों मैसर्स ओम ट्रेडर्स-प्रो. धर्मवीर चौधरी, आदित्य कुमार, अमन दीप तरड, ओम प्रकाश, मै. चौधरी बिल्ड मार्ट प्रा. लि. एवं निर्मला देवी के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक

रखी गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 10.02.2020 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई अमनदीप तरड की सम्पत्ति खुला प्लॉट सीजीआर सिटी, किल्ला नं. 3, मुरब्बा 68(क्षेत्रफल 2289 वर्गफुट), चक 2 एमएल, नाथावाली, सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर एवं प्लॉट नं. 208 (पश्चिम मुखी), किल्ला नं. 20, मुरब्बा नं. 69 (क्षेत्रफल 1518.75 वर्गफुट) चक 2 एमएल, नाथावाली, सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर, प्लॉट नं. 209 किल्ला नं. 20, मुरब्बा नं. 69 (क्षेत्रफल 1520.41 वर्गफुट) चक 2 एमएल, नाथावाली, सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर आदित्य कुमार की सम्पत्ति प्लॉट नं. 148 (क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट), किल्ला नं. 8,9, मुरब्बा नं. 69, 2 एमएल नाथावाली सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर, ओम प्रकाश की सम्पत्ति शोरूम नं. 26 (क्षेत्रफल 12'3" गुणा 24') व 27 (क्षेत्रफल 15'गुणा 13'4.5") प्रथम तल सीजीआर मॉल, हनुमानगढ रोड नजदीक चहल चौक, किल्ला नं. 2, 9, मुरब्बा नं. 16, चक 6 ई छोटी श्रीगंगानगर, शोरूम नं. 26(क्षेत्रफल 12'3" गुणा 24') व 27 (क्षेत्रफल 15'गुणा 13'4.5") द्वितीय तल सीजीआर मॉल, हनुमानगढ रोड नजदीक चहल चौक, किल्ला नं. 2, 9, मुरब्बा नं. 16, चक 6 ई छोटी श्रीगंगानगर, एंकर शोरूम (क्षेत्रफल 3600 वर्गमीटर) तृतीय तल, सीजीआर मॉल, हनुमानगढ रोड, नजदीक चहल चौक, किल्ला नं. 2, 9, मुरब्बा नं. 16, चक 6 ई छोटी, श्रीगंगानगर, निर्मला देवी की सम्पत्ति गोदाम स्थित ई-254 (3600 वर्गमीटर) एग्रो फूड पार्क, उद्योग विहार, श्रीगंगानगर एवं मैसर्स चौधरी बिल्ड मार्ट-प्रो. अमनदीप तरड की सम्पत्ति Facility Area (क्षेत्रफल 41724 वर्गफुट) किल्ला नं. 12, 13, 18, 19, मुरब्बा नं. 69, चक 2 एमएल, नाथावाली, सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर का भौतिक

कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ़तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर